न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।
उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)
****
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1891/2026

UPST010056062026

सीताराम दूबे पुत्र रामकिशोर दूबे, निवासी कान्धापुर, थाना जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0 173/2020,
अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 427, 188, 269 भारतीय दण्ड संहिता,
57 आ0प्रा0 अधिनियम एवं 3(1)(द), 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर।

दिनांक 11.06.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सीताराम दूबे के द्वारा मुकदमा अपराध सं0 173/2020, अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 427, 188, 269 भारतीय दण्ड संहिता, 57 आ0प्रा0 अधिनियम एवं 3(1)(द), 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर में जमानत प्राप्त करने हेतु दिया गया है। प्रार्थना पत्र, शपथपथ से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटनाक्रम इस प्रकार है कि वादी मुकदमा के ग्राम कान्हापुर (गिरधारी का पुरवा) में मनरेगा के तहत पिचरोड़ से अशोक दूबे के घर तक मिट्टी सोलिंग का कार्य हो रहा था, जहां पर लेवर मुकेश कुमार व मोहन कार्य कर रहे थे। उस समय वादी का उपरोक्त कान्हापुर ग्राम के जमुनीसराय पुरवे में हो रहे तालाब के कार्य को देखने गया था तभी दिनांक 15.05.2020 को समय करीब 4 बजे शाम वादी की मोबाइल पर मोहन ने फोन करके बताया कि मुकेश कुमार को जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी डण्डे से मार रहे है। वादी मुकदमार यह सुनते ही तुरन्त अपनी मोटर साइकिल वाहन यू0पी0 44 ए वाई 9775 पल्सर से वहां जा रहा था, तभी रास्ते में ही प्राथमिकी विद्यालय के पास सड़क पर प्रार्थी की गाड़ी रूकवा कर जाति सूचक गालियां देते हुए मुल्जिमान अनुपम दूबे, सीता दूबे, दुर्गेश दूबे उर्फ मोनू, प्रतीक दूबे, ज्ञानेन्द्र तिवारी लाठी डण्डे से मारने लगे, जिससे वादी मुकदमा गिर गया। उपरोक्त मुल्जिमानों ने वादी को गिराकर मारा पीटा एवं प्रार्थी की मोटर साइकिल को तोड़ डाला। प्रार्थी व मुकेश कुमार को चोटे आयी है

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी को कथित मुकदमें में बिल्कुल निर्दोष है, मात्र थाने की पुलिस वादी मुकदमा से मिलकर गलत तरीके से प्रार्थी को अभियुक्त बनाया है, जबकि घटना से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या उनके विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रार्थी का कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। इन्हीं कथनों आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. वादी मुकदमा को नोटिस का तामिला प्राप्त है बहस के दौरान वादी मुकदमा उपस्थित नहीं आया।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) की ओर से जमानत का विरोध किया गया और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष (फौजदारी) लोक अभियोजक के तर्कों को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त, अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ नामित है। अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को जाति सूचक गालियां देते हुए उसे लाठी डण्डा से चोटे कारित करने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने का अभियोग है। चोटहिलों की चिकित्सीय आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि चोटहिल सुनील कुमार के शरीर पर पाँच चोटे कन्ट्रजन की दाहिने आँख पर, दाहिने तरफ गर्दन पर, बाये हाथ की अंगुली पर, बाये सीने पर एवं दाहिने तरफ पीठ पर पायी गयी है। चोटहिल मुकेश कुमार के शरीर पर चोटे कन्ट्रजन की दाहिने हिप पर, बाये घुटने के नीचे पायी गयी है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई भी पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस मामले के सह अभियुक्त अनुपम दूबे एवं ज्ञानेन्द्र तिवारी की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। कथित घटना में प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका भी सहअभियुक्त के समान है। गवाहों को डराये/धमकाये जाने की कोई युक्तियुक्त संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में वाद के गुण–दोष पर पर अन्य कोई टिप्पणी किए बगैर, अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सीताराम दूबे द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 30,000/–रू की एक प्रतिभू तथा समान धनराशि के निजी बंधपत्र न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. प्रार्थी/अभियुक्त अध्याय 33 दण्ड प्रक्रिया संहिता/35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेंगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त उस मामलें के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों चको प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

ह0

दिनांक 11.06.2026
(स्टेनो सुधीर सिंह)

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट,
सुलतानपुर।
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)